

Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

Section 2 : Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (1) **“appointed day”** means the date on which the provisions of this Act shall come into force.
- (2) **“Commissioner”** means the Commissioner of Union territory tax appointed under section 3;
- (3) **“designated authority”** means such authority as may be notified by the Commissioner;
- (4) **“exempt supply”** means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be exempt from tax under section 8, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
- (5) **“existing law”** means any law, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this Act by Parliament or any Authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation;
- (6) **“Government”** means the Administrator or any authority or officer authorised to act as Administrator by the Central Government;
- (7) **“output tax”** in relation to a taxable person, means the Union territory tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;
- (8) **“Union territory”** means the territory of,
 - (i) the Andaman and Nicobar Islands;
 - (ii) Lakshadweep;
 - ¹[(iii) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
 - (iv) Ladakh;]

1 Substituted by Finance Act, 2020 (12 of 2020) w.e.f. 27-03-2020. Earlier to substitution it read as under;

"(iii) Dadra and Nagar Haveli ^A[and Daman and Diu];

^B[(iv) ****]

A Inserted by the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Goods And Services Tax (Amendment) Regulation, 2020 dated 24-01-2020 w.e.f. 26-01-2020.

B Omitted by the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman And Diu Goods And Services Tax (Amendment) Regulation, 2020 dated 24-01-2020 w.e.f. 26-01-2020. Earlier to substitution it read as "(iv) Daman and Diu;"

Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

(v) Chandigarh; or

(vi) other territory.

Explanation-For the purposes of this Act, each of the territories specified in sub-clauses (i) to (vi) shall be considered to be a separate Union territory;

- (9) **“Union territory tax”** means the tax levied under this Act;
- (10) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, the State Goods and Services Tax Act, and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, shall have the same meaning as assigned to them in those Acts.
-

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 2 : परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो,—

- (1) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (2) “आयुक्त” से धारा 3 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का आयुक्त अभिप्रेत है;
- (3) “अभिहित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (4) “छूट प्राप्त प्रदाय” से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है जिन पर कर की दर शून्य हैं या जिन्हें धारा 8 के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर से छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर कराधेय प्रदाय भी है;
- (5) “विद्यमान विधि” से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है, या बनाया गया है;
- (6) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रशासक या कोई प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है;
- (7) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में, “आउटपुट कर” से उसके द्वारा या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत है किन्तु इसमें प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;
- (8) “संघ राज्यक्षेत्र” से,—
 - (i) अंडमान और निकोबार द्वीप;
 - (ii) लक्षद्वीप;
 - ¹(iii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;
 - (iv) लद्दाख;]
 - (v) चंडीगढ़; या

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2020):

“(iii) दादरा और नागर हवेली ^A[और दमन और दीव];

^B[(iv)]”

A दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 24.01.2020 (प्रभावशील दिनांक 26.01.2020) द्वारा अंतः स्थापित।

B दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 24.01.2020 द्वारा विलोपित। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(iv) दमन और दीव;”

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(vi) अन्य राज्यक्षेत्र,
का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

- (9) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है;
- (10) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकृत अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में है।
-